

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादी / प्रार्थी

प्रतिवादी / अप्रार्थीगण

ओ.प.वा.

बनाम

उमर खान

प्रकरण : राजस्व वाद पत्र

मुकदमा नं. 202 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की लागू में जारी हुये।
24/12/21	<p>यह वाद अधीन धारा <u>52, 88, 188</u> राजस्थान कारतकारी अधिनियम के तहत वकील श्री <u>बि.ए.रा.का</u> ने पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>12.1.22</u> को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Stamp]</i></p> <p><u>12/1/22</u> पक्षकार/पक्षकारान के अभियक्ता पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट के माफ़ा अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकाश उनके समक्ष दिनांक <u>14/1/22</u> को प्रस्तुत करें।</p> <p><u>14/1/22</u> पक्षकार/पक्षकारान के अभियक्ता पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट के माफ़ा अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकाश उनके समक्ष दिनांक <u>20/1/22</u> को प्रस्तुत करें।</p> <p><u>20/1/22</u> पक्षकार/पक्षकारान के अभियक्ता पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट के माफ़ा अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकाश उनके समक्ष दिनांक <u>15/1/22</u> को प्रस्तुत करें।</p> <p><u>15/1/22</u> पक्षकार/पक्षकारान के अभियक्ता पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट के माफ़ा अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकाश उनके समक्ष दिनांक <u>14/1/22</u> को प्रस्तुत करें।</p>	

14/11/23

पञ्जाबी प्रान्त पञ्जाबी प्रतिवादीपत्र की
तलवी हु आदिवादि दिनांक 04.01.2023
को पेज एडी दे

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जालंधर

कार/पक्षकारान क माधर

4/11/23

गठायीन प्रान्तवादी की निदिग प्रकाश
प्रकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकाश
नके सभस दिनांक 9/3/22.
प्रकाश करें।

9/11/23

वकील वादी प्रार्थना पत्र पेज कर पञ्जाबी
को आज तारीख पेजी पर लिखा जाकर
जरिये विडोल खारिज करने का निवेदन
किया। वादी खये उपस्थित। वादी को सुना
गया। वादी बाद पत्र को चलाना नहीं
चाहता है तथा जरिये विडोल खारिज
किये जाने का निवेदन किया।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत विडोल
प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर वाद
वादी का जरिये विडोल खारिज
किया जाता है। मिस्टर नम्बर से
कम हाकर वाद जाफ्त कार्यावाही दाखिल
हप्तर रहे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जालंधर